न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
45/2019/प्रा.पत्र/2019	24.06.2019	24.02.2022

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री गणेश लाल साहू पुत्र श्री श्रवण लाल साहू विक्रेता मैसर्स मुकेश किराणा स्टोर मेन मार्केट बस स्टैण्ड के पास दूनी जिला टोंक राज. निवासी चुंगी नाका के पास दूनी जिला टोंक

2–श्री मुकेश कुमार साहू पुत्र श्री श्री श्रवण लाल साहू विक्रेता मैसर्स मुकेश किराणा स्टोर मेन मार्केट बस स्टैण्ड के पास दूनी जिला टोंक राज. निवासी चुंगी नाका के पास दूनी जिला टोंक

3– मैसर्स मुकेश किराणा स्टोर मेन मार्केट बस स्टैण्ड के पास दूनी जिला टोंक राज.

4–श्रीमति ज्योति मित्तल पत्नि श्री राकेश कुमार मित्तल प्रोपरायटर मैसर्स राधास्वामी ट्रेडर्स सदर बाजार केकडी जिला अजमेर राज.

5– मैसर्स राधास्वामी ट्रेडर्स सदर बाजार केकडी जिला अजमेर राज.

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–श्री पंकज कुमार,अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ता. 3

3–श्री शिवप्रसाद शर्मा, अभिभाषक,अप्रार्थी संख्या 4 व 5 उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 24.02.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.01.2019 को समय 4.49 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मुकेश किराणा स्टोर मेन मार्केट बस स्टैण्ड के पास दूनी जिला टोंक राज. पर पहुंचा। विक्रेता की हैसियत से श्री गणेश लाल साहू पुत्र श्री श्रवण लाल साहू विक्रेता मैसर्स मुकेश किराणा स्टोर मेन मार्केट बस स्टैण्ड के पास दूनी जिला टोंक राज. निवासी चुंगी नाका के पास दूनी जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया पूछने पर प्रतिष्ठान का [illegible] स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:28:05 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु [illegible]न मे **मूंगफली तेल निवाई मार्का ब्राण्ड प्लास्टिक बोतल पैक** (Gruound Nut Oil Newai Marka Brand Plastic Bottle Pack) जिसके बैच नं0 10 एंव पैकिग की दिनांक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अक्टूबर 2018 अकिंत थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री गणेश लाल साहू को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गणेश लाल साहू एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 910–910 ग्राम की 12 प्लास्टिक मूल पैक **मूंगफली तेल निवाई मार्का ब्राण्ड प्लास्टिक बोतल पैक** (Gruound Nut Oil Newai Marka Brand Plastic Bottle Pack) रखे हुये मे से 4 नग बोतल का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री गणेश लाल साहू को रू0 400/–अक्षरे चार सौ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **मूंगफली तेल निवाई मार्का ब्राण्ड प्लास्टिक बोतल पैक** (Gruound Nut Oil Newai Marka Brand Plastic Bottle Pack) खरीदशुद्दा 4 नग 910–910 ग्राम मूल पैक को बराबर–बराबर (एक भाग 910–910 ग्राम) अलग–अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे अलग–अलग ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड रखकर डिब्बो के ढक्कन को एयर टाईट बंद किया एंव नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2091 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2091 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. गणेश लाल साहू के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री गणेश लाल साहू ने मौके पर **मूंगफली तेल निवाई मार्का ब्राण्ड प्लास्टिक बोतल पैक** (Gruound Nut Oil Newai Marka Brand Plastic Bottle Pack) का बतोर वारंटी बिल मैसर्स राधास्वामी ट्रेडर्स घण्टाघर के पास सदर बाजार केकडी जिला अजमेर राज0 का खरीद बिल क्रमांक/ इन्वॉइस नं0 689 दिनांक 22.10.2018 की छायाप्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2019/386 [illegible] 14.02.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन [illegible] से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/105/एक्ट/2019/18[illegible] 30.01.2[illegible] अनुसार गणेश लाल साहू से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया [illegible] **ब्राण्ड प्लास्टिक बोतल पैक** (Gruound Nut Oil Newai Marka Brand Plastic Bottle Pack) खाद्य सुरक्षा एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:28:05 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 2(ii) के अनुसार **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का **मूंगफली तेल निवाई मार्का ब्राण्ड प्लास्टिक बोतल पैक** (Gruound Nut Oil Newai Marka Brand Plastic Bottle Pack) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ता. 5 द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत ना कर बहस हेतु निवेदन किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मूंगफली तेल निवाई मार्का ब्राण्ड प्लास्टिक बोतल पैक** (Gruound Nut Oil Newai Marka Brand Plastic Bottle Pack)का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मूंगफली तेल निवाई मार्का ब्राण्ड प्लास्टिक बोतल पैक** (Gruound Nut Oil Newai Marka Brand Plastic Bottle Pack) का नमूना जांच में **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री गणेश लाल साहू पुत्र श्री श्रवण लाल साहू विक्रेता मैसर्स मुकेश किराणा स्टोर मेन मार्केट बस स्टैण्ड के पास दूनी जिला टोंक राज. निवासी चुंगी नाका के पास दूनी जिला टोंक पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार हजार रू0) अप्रार्थी श्री मुकेश कुमार साहू पुत्र श्री श्री श्रवण लाल साहू विक्रेता मैसर्स मुकेश किराणा स्टोर मेन मार्केट बस स्टैण्ड के पास दूनी जिला टोंक राज. निवासी चुंगी नाका के पास दूनी जिला टोंक पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार हजार रू0) अप्रार्थी श्रीमति ज्योति मित्तल पत्नि श्री राकेश कुमार मित्तल प्रोपरायटर मैसर्स राधास्वामी ट्रेडर्स सदर बाजार केकडी जिला अजमेर राज.पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 24.02.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2022 को [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:28:05 IST
Reason: SelfAttested

24-2-2022

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0